भास्कर ए. सावंत, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक / अध्यक्ष डिस्काम्स / प्रावै.सहा. / एफ. प्र. 429 दिनांक 25.12.2021

आदेश

विषय :– कृषि उपभोक्ताओं के सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के संदर्भ मे।

सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के सदर्भ मे विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश क्रमाक जेपीआर 5–1045 दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी किये गये थे। इस आदेश के अनुसार सतर्कता जांच प्रतिवेदन से असन्तुष्ट उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी कम हो एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष आवेदन कर सकते है, परन्तु कनेक्शन पुर्नस्थापित करने के लिये वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत जमा कराना आवश्यक है।

इसी क्रम मे कृषि उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान मे रखते हुए निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरण में यदि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो उसका विद्युत सम्बन्ध पुर्नस्थापित (RC) कर दिया जावेगा तथा प्रकरण राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति मे ले लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि कृषि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत एव सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो सतर्कता जांच प्रतिवेदन सहायक अभियन्ता स्तर पर ही पूर्ण निस्तारित माना जायेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्काम्स

No. Jd./SE(PPM)/XEN(S&I) /D. 325 Dated:- 27/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त / तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन / बीकानेर जोन / बाडमेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआईए / बी एण्ड आर / डब्लयू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. **अधीक्षण अभियंता(नगर / ज़िला / पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / सिरोही / जालौर / जैसलमेर / बाड़मेर / बीकानेर / चुरू / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर को अक्षरक्षः पालनार्थ हेतु।**
9. अधीक्षण अभियंता(सतर्कता / टीडब्ल्यू / वाणिज्य / एमएम / एमएण्डपी / बीएफएल),जोधपुर डिस्कॉम,.........................।
10. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सचिव– माननीय.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर